न्यायालय सहायक कलक्टर, सरदारशहर जिला चूरू
पीठासीन अधिकारी डॉ. दिव्या (आर.ए.एस.)
वादपत्र सं. 09/2023
अनुवान गिरधारीसिंह बनाम विमला कंवर आदि
निर्णय दिनांक 17/12/24

गिरधारीसिंह पुत्र दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी शिमला तहसील सरदारशहर जिला चूरू

—वादी

बनाम

1. विमला कंवर बेवाह भीवसिंह जाति राजपूत निवासी शिमला तहसील सरदारशहर जिला चूरू
2. हरफुलसिंह पुत्र भीवसिंह जाति राजपूत निवासी शिमला, तहसील सरदारशहर जिला चूरू
3. मंजू कंवर पुत्र भीवसिंह जाति राजपूत निवासी शिमला, तहसील सरदारशहर जिला चूरू
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भानीपुरा जिला चूरू

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणात्मक, क्षेत्रफल विभाजन, रिकॉर्ड दुरूस्ती वर विनाय शहादत हर किस्म हस्ब दफा 53, 88, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति:

1. श्री समुन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता वास्ते वादी।
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 स्वयं उपस्थित।
3. राज पैरोकार वास्ते प्रतिवादी सं. 04 तहसीलदार भानीपुरा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * सरदारशहर जिला-चूरू (राज.) *

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी एवं भीवसिंह, प्रभुसिंह, भानीसिंह चार सगे भाई थे। जिनके नाम से वादगत भूमि के अलावा अन्य भूमि भी संयुक्त खातेदारी की स्थित थी जिनका क्षेत्रफल विभाजन दिनांक 06.01.2007 को कैम्प शिमला में सभी भाईयों की सहमती से हुआ था। मुताबिक क्षेत्रफल विभाजन साबिका ख. नं. 76 तादादी 15 बीघा 16 बिश्वा रोही मौजा रेख शिमला में से वादी के हक हिस्से में अगुणे पासे की 8 बीघा 07 बिश्वा तथा आथुणे पासे की 07 बीघा 09 विश्वा भूमि, वादी के भाई भीव सिंह (प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पति पिता) के हक हिस्से में आयी थी एवं विभाजन प्रस्ताव भी इसी अनुसार तैयार किया गया था। जिसकी प्रमाणित प्रति शामिल दावा प्रस्तुत किया गया है। मद सं. 01 में अंकित वादगत भूमि को राजस्व कर्मचारियों की गलती से वादी के हिस्से का पासा भूमि भींवसिंह के नाम से दर्ज कर दी एवं भीवसिंह के हक हिस्से की भूमि वादी के नाम से गलत रूप से दर्ज कर दी गई। जबकि वादी एवं प्रतिवादीगण अपने—अपने वास्तविक हिस्से पर लगातार कब्जा काश्त करते आ रहे हैं एवं उपरोक्त भूल की आज तक कोई जानकारी नहीं हुई। अब पैमाईश करवाने हेतु हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो उपरोक्त इल्म की जानकारी हुई। इससे पूर्व इस भूल की कोई जानकारी नहीं हुई। वादगत भूमि साबिका

उपखण्ड अधिकारी
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नं. 76 मीन तादादी 07 बीघा 09 बिस्वा के हाल खसरा नं. 111 रकबा 1.8800 हैक्टेयर व साबिका खसरा नं. 76 मीन तादादी 08 बीघा 09 बिस्वा के हाल खसरा नं. 112 रकबा 2.1100 हैक्टेयर कायम हुए हैं मीलान क्षेत्रफल व जमाबंदी शामिल दावा प्रस्तुत है वादगत भूमि हाल खसरा नं. 112 जो पूर्व की 18 बिस्वा भूमि जो वादी की है को छोड़कर भीवसिंह की खातादारी भूमि है जिसे गलत रूप से वादी के नाम राजस्व रिकार्ड के दर्ज कर दी गई है एवं हाल खसरा नं. 111 जो वादी की खातेदारी भूमि है जिसे गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में भीवसिंह के नाम से दर्ज कर दी गई है जिसे सही व दुरूस्त करने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी वादगत भूमि का खातेदार काबिज कास्तकार है जिसे अपने राजस्व रिकार्ड को सही व दुरूस्त करवाने का पूर्ण हक अधिकार प्राप्त है जिसके लिए यह दावा प्रस्तुत किया गया है। वादी के भाई भीवसिंह का स्वर्गवास हो गया है जिनके वारीसान प्रतिवादी सं. 01 ता 03 है जिनको भीवसिंह के स्थान पर प्रतिवादी बनाया गया है वादी ने प्रतिवादीगण को वादगत भूमि का राजस्व रिकार्ड सही व दुरूस्त करवाने के लिए कहा एवं कहलवाया मगर उन्होंने वादी की बात पर कोई गौर नहीं किया एवं आखीकार बमुकाम शिमला में दिनांक 15.1.2022 को ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया लिहाजा यही तारीख विनाय मुखास्मत दावा है।

वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि जरिये डिक्री घोषणात्मक, क्षेत्रफल विभाजन व रिकॉर्ड दुरूस्ती कृषि भूमि खसरा नं. 111 तादादी 1.88 हैक्टेयर रोही रेख शिमला को जो वर्तमान में भीवसिंह के नाम दर्ज है जिसे दुरूस्त कर वादी गिरधारीसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं खसरा नं. 112 तादादी 2.11 हैक्टेयर रेख शिमला जो वर्तमान में वादी के नाम से दर्ज है उक्त भूमि में पश्चिमी तरफ की 1.88 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 01 ता 03 ब0 हि0 ब0 के नाम से दर्ज की जावे एवं शेष पूर्वी तरफ की खसरा नं. 111 के चिपते 0.23 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम से कायम रखी जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड कायम किया जाकर इसी अनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद की जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन सशुल्क तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने स्वयं उपस्थित होकर इकबाल जबाब दावा पेश कर वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार दावा डिक्री किया जाने जाने एतराज नहीं प्रतिवादी सं. 4 पैरोकार राज द्वारा बार–बार अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब पैरोकार राज बन्द किया गया। दावा का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। अतः तनकी कायम करने की आवश्यकता नहीं हुई। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादी द्वारा वाद के समर्थन में बतौर साक्षी PW-1 गिरधारीसिंह वादी का शपथ पत्र पेश किया गया और अपनी साक्ष्य लेखबद्ध करवाई और राजस्व रिकॉर्ड के दस्तावेज पेश किये। दौराने विचारण वादी की ओर से निम्नांकित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये :–

प्रदर्श–1 प्रतिलिपि जमाबन्दी खसरा नम्बर 112 संवत 2073–76

प्रदर्श–2 प्रतिलिपि जमाबन्दी खसरा नम्बर 111,113 संवत 2073–76

प्रदर्श–3 प्रमाणित प्रतिलिपि नामान्तरण रजिस्टर ग्राम रेख शिमला।

प्रदर्श–4 प्रमाणित प्रतिलिपि खाता विभाजन आवेदन पत्र भींवसिंह,गिरधारीसिंह,प्रभुसिंह,भानीसिंह।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

प्रदर्श–5 प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा किश्तवार मौजा शिमला सम्वत 2018

प्रदर्श–6 प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा किश्तवार मौजा रेख गिधासर

प्रदर्श–7 प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा किश्तवार मौजा रेख खोजेर रावतसर

प्रदर्श–8 प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा किश्तवार मौजा रेख खो. पट्टा शिमला सम्वत 2018

प्रदर्श–9 प्रमाणित प्रतिलिपि इकरारनामा सहमति पत्र खाता विभाजन

प्रदर्श–10 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी रेख शिमला खसरा नम्बर 76,77 संवत 2061–64

प्रदर्श–11 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी रेख रावतसर खसरा नम्बर 89 संवत 2060–63

प्रदर्श–12 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी रेख गिद्धासर खसरा नम्बर 87 संवत 2062–65

प्रदर्श–13 प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी शिमला खसरा नम्बर 364/67, 461/244 संवत 2062–65

प्रदर्श–14 प्रमाणित प्रतिलिपि नक्शा किश्तवार मौजा रेख खो. पट्टा शिमला सम्वत 2011

प्रदर्श–15 कुर्सीनामा भीमसिंह पुत्र दलपतसिंह ग्राम पंचायत शिमला

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी नियत की गई। प्रतिवादीगण ने साक्ष्य नहीं करवाकर बहस इस्तदुआ की। पत्रावली वास्ते बहस मुकर्रर की गई।

बहस पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी एवं भीवसिंह, प्रभुसिंह, भानीसिंह चार सगे भाई थे। जिनके नाम से वादगत भूमि के अलावा अन्य भूमि भी संयुक्त खातेदारी की स्थित थी जिनका क्षेत्रफल विभाजन दिनांक 06. 01.2007 को कैम्प शिमला में सभी भाईयों की सहमती से हुआ था। मुताबिक क्षेत्रफल विभाजन साबिका ख. नं. 76 तादादी 15 बीघा 16 बिश्वा रोही मौजा रेख शिमला में से वादी के हक हिस्से में अगुणे पासे की 8 बीघा 07 बिश्वा तथा आथुणे पासे की 07 बीघा 09 बिश्वा भूमि, वादी के भाई भीव सिंह (प्रतिवादी सं. 1 ता 3 के पति पिता) के हक हिस्से में आयी थी एवं विभाजन प्रस्ताव भी इसी अनुसार तैयार किया गया था। कृषि भूमि खसरा नं. 111 तादादी 1.88 हैक्टेयर रोही रेख शिमला को जो वर्तमान में भीवसिंह के नाम दर्ज है जिसे दुरुस्त कर वादी गिरधारीसिंह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं खसरा नं. 112 तादादी 2.11 हैक्टेयर रेख शिमला जो वर्तमान में वादी के नाम से दर्ज है उक्त भूमि में पश्चिमी तरफ की 1.88 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 01 ता 03 ब0 हि0 ब0 के नाम से दर्ज की जावे एवं शेष पूर्वी तरफ की खसरा नं. 111 के चिपते 0.23 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम से कायम रखी जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड कायम किया जाकर इसी अनुसार रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण ने वादी का वाद डिक्री किया जाने में अनापत्ति होना जाहिर किया। वादी के वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद को स्वीकारोक्ति के आधार पर वादी के पक्ष में निर्णित किये जाने में कोई विधिक बाधा भी नहीं है। इसलिए वादी द्वारा संस्थित वाद स्वीकारोक्ति के आधार पर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

आदेश

वाद वादी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है अतः डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नं. 111 तादादी 1.88 हैक्टेयर रोही रेख शिमला वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के पति एवं 2 व 3 के पिता भीवसिंह के नाम दर्ज है जिसे दुरूस्त कर वादी गिरधारीसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं खसरा नं. 112 तादादी 2.11 हैक्टेयर रेख शिमला जो वर्तमान में वादी के नाम दर्ज है जिसमें से पश्चिमी तरफ की 1.88 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 01 ता 03 के नाम ब. हि. ब. दर्ज की जावे एवं शेष पूर्वी तरफ की खसरा नं. 111 के चिपते 0.23 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम से कायम रखी जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। भूमि रहन यथावत रहेगी। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(डॉ. दिव्या) RAS
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

निर्णय आज दिनांक 17/12/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. दिव्या) RAS
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री ब मुकद्देमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20,रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम सरदारशहर व बइजलास डॉ. दिव्या आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 09/2023

अनुवान गिरधारीसिंह बनाम विमला कंवर आदि

अन्तर्गत धारा 53, 88, 92ए आर. टी. एक्ट 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री समुन्द्र सिंह शेखावत एडवोकेट मिनजानिब मुदई व प्रतिवादीगण स्वयं व पैरोकार राज मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है, वाद वादी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है अतः डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नं. 111 तादादी 1.88 हैक्टेयर रोही रेख शिमला वर्तमान में प्रतिवादी सं. 1 के पति एवं 2 व 3 के पिता भीवसिंह के नाम दर्ज है जिसे दुरूस्त कर वादी गिरधारीसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावे एवं खसरा नं. 112 तादादी 2.11 हैक्टेयर रेख शिमला जो वर्तमान में वादी के नाम दर्ज है जिसमें से पश्चिमी तरफ की 1.88 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी सं. 01 ता 03 के नाम ब. हि. ब. दर्ज की जावे एवं शेष पूर्वी तरफ की खसरा नं. 111 के चिपते 0.23 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम से कायम रखी जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। भूमि रहन यथावत रहेगी।

.....

.....बीज ..... मुबलिग .....

बाबत ..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह ..... फीसदी सालानी आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें। मेरे दस्तखत व मुहर

अदालतसे आज तारीख 17 माह 12 सन् 2024 को जारी की गई।

मोहर

डॉ. दिव्या (आरएएस)
सहायक कलक्टर
सरदारशहर(चूरू)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाहा		रूपया	पै.
स्टाम्प अरजीदावा	06	00	स्टाम्प वकालतनामा		00	00
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		00	00
स्टाम्प वजह सबूत	120	00	महनताना वकील		00	00
महनताना वकील	00	00	खर्चा गवाहान		00	00
खर्चा गवाहान	00	00	फीस कमिश्नर		00	00
फीस कमिश्नर	00	00	बाबत इजराय हुक्मनामा		00	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	00	00	मुतफर्रिक		00	00
मुतफर्रिक	03	00	मिजान		00	00
मिजान	130					

Scanned with OKEN Scanner